

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 640]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2010—पौष 3, शक 1932

गृह विभाग

( सी-अनुभाग )

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2010

क्र. एफ.-19-34-2001-सी-एक.—मध्यप्रदेश विशेष सुरक्षा अधिनियम, 2000 (क्रमांक 17 सन् 2001) की धारा 3 की उपधारा (1) सहपठित उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर, 2009 की वैधता में और एक वर्ष की कालावधि की वृद्धि करती है, जिसके द्वारा कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) और उसके दो अग्र संगठन अर्थात् (1) क्रांतिकारी किसान कमेटी (के.के.सी.) तथा (2) क्रांतिकारी जन कमेटी (के.जे.सी.) विधि विरुद्ध संगठन के रूप में घोषित किए गए थे.

यह अधिसूचना दिनांक 18 नवम्बर, 2010 से एक वर्ष के लिये प्रवृत्त रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजय कटारिया, सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2010

क्र. एफ.-19-34-2001-दो-सी-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजय कटारिया, सचिव.

Bhopal the 24th December, 2010

F. No. 19-34-2001-C-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (4) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Kshetra Suraksha Adhiniyam, 2000 (No. 17 of 2001) the State Government, hereby, extend the validity of this department's notification of even number dated 24th November, 2009 for a further period of one year, whereby Communist Party of India (Maoist) and its two front organizations namely; (1) Krantikari Kisan Committee (K.K.C.) and (2) Krantikari Jan Committee (K.J.C.) were declared as unlawful Organizations.

This Notification will remain in force for one year with effect from 18th November, 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VIJAY KATARIA, Secy.

1279